विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / 2026 / 76 रायपुर, दिनांक 16 MAR 2026

प्रति,

1. श्रीमति इंदु साहू,
   पता – मकान नं. ए–25, अरिहंत श्री वाटिका कॉलोनी,
   जैन सुपर बाजार के पास, रूद्री रोड़,
   जिला धमतरी (छ.ग.) 493773

2. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग,
   छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., धमतरी (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक / 01 / रायपुर(ग्रा.) / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर ग्रामीण द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अशोक खण्डेलवाल)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (संचा / संधा) वृत्त, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– निजी भूमि (खसरा नंबर 52/8) पर स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर के स्थानांतरण हेतु शिकायत एवं विद्युत विभाग की निष्क्रियता के संबंध में।

प्रकरण क्रमांक/01/रायपुर(ग्रा.)/2026

श्रीमति इंदु साहू, ...आवेदिका

पता – मकान नं. ए–25, अरिहंत श्री वाटिका कॉलोनी,

जैन सुपर बाजार के पास, रूद्री रोड़,

जिला धमतरी (छ.ग.) 493773

मो.नं. 97704–33904

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., धमतरी (छ.ग.)

निर्णय
(दिनांक 16/03/2026 को घोषित)

1. आवेदक श्रीमति इंदु साहू द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 05.01.2026 यह है कि

मैं इंदु साहू, पता – मकान नं. ए–25, अरिहंत श्री वाटिका कॉलोनी, जैन सुपर बाजार के पास, रूद्री रोड़, जिला धमतरी (छ.ग.) निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर यह शिकायत प्रस्तुत कर रही हूँ –

(i) भूमि एवं विवाद का विवरण – मेरी स्वामित्व की निजी भूमि खसरा नंबर 52/8, ग्राम रूद्री, तहसील रूद्री, जिला धमतरी में स्थित है । उक्त भूमि पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा एक विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है ।

(ii) उत्पन्न हो रही समस्याएँ – ट्रांसफार्मर की स्थापना के कारण

मेरी निजी भूमि का वैध एवं सुरक्षित उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है ।

ट्रांसफार्मर की स्थिति अत्यंत असुरक्षित है, जिससे जान–माल को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है ।

भविष्य में किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना की पूर्ण संभावना बनी हुई है ।

मैं स्वयं का मकान बनाने में असमर्थ हूँ ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

- मेरी भूमि का बाजार मूल्य अत्यधिक प्रभावित हो गया है ।

  आर्थिक एवं मानसिक परेशानी हो रही है ।

(iii) विभाग की उदासीनता – इस विषय में मैने पूर्व में संबंधित विद्युत कार्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है तथा भूमि संबंधी दस्तावेज एवं ट्रांसफार्मर की फोटो भी उपलब्ध कराई है किन्तु अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है न ही मुझे किसी प्रकार का संतोषजनक उत्तर प्रदान किया गया है । यह स्थिति विभागीय लापरवाही एवं उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को दर्शाती है ।

(iv) प्रार्थना – अतः माननीय फोरम से विनम्र प्रार्थना है कि मेरी निजी भूमि खसरा नंबर 52/8, प.ह.नं. 45, ग्राम रूद्री, तहसील एवं जिला धमतरी पर स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर को शीघ्र किसी अन्य उपयुक्त एवं सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए । विभाग द्वारा की गई अनावश्यक देरी एवं उदासीनता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए । भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाए । मैं आशा करती हूँ कि माननीय फोरम मेरे उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए न्यायोचित निर्णय प्रदान करेगा ।

2. यह कि अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., धमतरी ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 6204 दिनांक 12.01.2026 को सूचित किया है कि :–

(i) उपभोक्ता के सूचना पत्र 02.01.2026 को सहायक अभियंता धमतरी ग्रामीण उपसंभाग कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसे आवक क्रमांक 17.01.2026 में दर्ज किया गया । जिसमें उपभोक्ता द्वारा ग्राम रूद्री पटवारी हल्का नं. 45 में क्रय की भूमि खसरा नंबर 52/08 रकबा 0.01 हेक्टेयर स्थापित ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन का स्थानांतरित किये जाने का मांग किया गया है ।

(ii) यह कि उक्त भूमि पर वर्ष 2023 में ट्रांसफार्मर डी.पी. एवं विद्युत लाईन लगाया गया है । ट्रांसफार्मर डी.पी. एवं विद्युत खम्भा लगाते समय किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया है । उपभोक्ता के द्वारा कार्यालय में दिये गये दस्तावेजो के अनुसार उक्त भूमि का क्रय उपभोक्ता द्वारा मई 2024 में किया गया है । जिसका नामांतरण 10.06.2024 को हुआ है ।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

(iii) उपभोक्ता द्वारा दिनांक 16.12.2025 को दिये गए आवेदन पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए स्थल निरीक्षण एवं सर्वे करवाया गया कनिष्ठ यंत्री गोकुलपुर द्वारा उपभोक्तो के समक्ष स्थल निरीक्षण किया गया ।

(iv) यह कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 एवं भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 10 के अंतर्गत विद्युत लाईन विस्तार हेतु तार बिछाने या खंभा गड़ाने के पहले भूमिस्वामी से सहमति लेना आवश्यक नहीं है ।

(v) कंपनी के नियमानुसार पूर्व से स्थापित विद्युत लाईन को स्थानांतरित करने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर स्थानांतरण आवश्यक लागत राशि का भुगतान आवेदक द्वारा किया जाना है लागत राशि का भुगतान आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(vi) यह कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईन को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने हेतु प्राक्कलन 28.035.5342.25.0021 दिनांक 07.01.2026 राशि 258988/– स्वीकृत किया जाकर राशि रू0 258988/– का मांग पत्र सहायक अभियंता धमतरी ग्रामीण उपसंभाग कार्यालय के पत्र क्रमांक 1202 दिनांक 08.01.2026 द्वारा प्रेषित किया गया । मांग पत्र की राशि का भुगतान किये जाने के पश्चात् आवेदित ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन को शिफ्टिंग की कार्यवाही किया जावेगा ।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को खारिज करने हेतु निर्णय पारित करने का कष्ट करें ।

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 29.01.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :–

3. यह कि मकान नं. ए–25, अरिहंत श्री वाटिका कालोनी, रूद्री रोड़ धमतरी निवासी आवेदिका द्वारा ग्राम रूद्री धमतरी में वर्ष 2024 में एक भूखंड क्रय किया गया जिसका खसरा कमांक 52/8 है । आवेदिका के अनुसार उक्त भूमि में उत्तरवादी द्वारा एक ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है जिससे उस भूमि का सुरक्षित तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है एवं विद्युत दुर्घटना के कारण जान माल के नुकसान की आशंका बनी हुई है । आवेदिका के अनुसार उसकी भूमि पर विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित होने के कारण उस पर मकान बनाने का कार्य भी नहीं हो पा रहा है जिससे उन्हें आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । आवेदिका के अनुसार अपनी इस समस्या के संबंध में उसके

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

द्वारा उत्तरवादी के कार्यालय में पत्र प्रस्तुत करते हुए उसकी भूमि पर स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईनों को अन्यत्र हटाए जाने का निवेदन किया गया था लेकिन उत्तरवादी द्वारा इस संबंध में अब तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी ।

4. यह कि अपनी स्वयं की भूमि पर उत्तरवादी द्वारा बिना सूचना के विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईन स्थापित कर दिए जाने एवं उक्त ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थापित किए जाने के उसके निवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही न किए जाने से व्यथित होकर एवं अविलंब उक्त ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थापित किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदिका द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में प्रस्तुत किया गया है ।

5. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 6204 दिनांक 12.01.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदिका की भूमि पर वर्ष 2003 में ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन की स्थापना की गयी । तत्समय ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल को लगाए जाने पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गयी । ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन वर्ष 2023 में स्थापित की गयी जबकि आवेदिका द्वारा उक्त भूमि 2024 में कय की गयी है । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 एवं भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 10 के अंतर्गत विद्युत लाईन विस्तार हेतु तार बिछाने या खंभा गड़ाने के पहले भूस्वामी की सहमति लेना आवश्यक नहीं है ।

उत्तरवादी के अनुसार आवेदिका द्वारा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद उनकी निजी भूमि से ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईनों को हटाने हेतु आवश्यक सर्वे किया जाकर, प्राक्कलन स्वीकृत करते हुए लागत राशि रू. 258988.00 का मांग पत्र नियमानुसार प्रेषित किया गया है जिसका भुगतान आवेदिका द्वारा किए जाने के बाद संबंधित ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन को आवेदिका की भूमि से हटाने की कार्यवाही की जाएगी ।

6. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या आवेदिका की भूमि पर उत्तरवादी द्वारा बिना उसकी अनुमति के विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईन स्थापित किया जाना सही है ।

ब. क्या इस प्रकरण में आवेदिका उत्तरवादी से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर (ग्रामीण)

स. क्या आवेदिका की भूमि पर स्थित ट्रांसफार्मर एवं लाईन को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने हेतु उत्तरवादी द्वारा आवेदिका को मांग पत्र जारी किया जाना नियमानुसार है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

7. यह कि दिनांक 29.01.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि वर्ष 2023 में ही उसके द्वारा ग्राम रूद्री धमतरी स्थित भूखंड खसरा कमांक 52/8 को कय किए जाने की पहल आरंभ कर दी गयी थी एवं वर्ष 2024 में उक्त भूखंड कय किया जाकर उसका पंजीयन किया गया । वर्ष 2023 में उक्त भूमि में उत्तरवादी द्वारा ट्रांसफार्मर अथवा विद्युत लाईन स्थापित नहीं की गयी थी । वर्ष 2024 में भूमि कय किए जाने के बाद उसे अपनी भूमि में उत्तरवादी द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई । अपनी भूमि से विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईन को हटाए जाने के संबंध में उसके द्वारा उत्तरावादी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन उत्तरावादी द्वारा ट्रांसफार्मर स्थानांतरित किए जाने संबंधी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी । कुछ दिनों पूर्व उत्तरवादी द्वारा इस कार्य हेतु एक मांग पत्र राशि रू 258988.00 का प्रेषित किया गया है जो नियम विरूद्ध एवं अनुचित है । उत्तरवादी द्वारा स्वयं के खर्च पर, उसकी भूमि से ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन को हटाया जाना न्याय संगत होगा ।

8. यह कि फोरम के समक्ष उपस्थित उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि आवेदिका द्वारा भूमि कय किए जाने के पूर्व ही उसके द्वारा ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन की स्थापना की जा चुकी थी । ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन की स्थापना के समय स्थल पर आवेदिका अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गयी । उक्त भूमि का निजी भूमि होना उसके संज्ञान में नहीं था अन्यथा उसके द्वारा आवेदिका की भूमि में ट्रांसफार्मर एवं लाईन की स्थापना नहीं की गयी होती । आवेदिका का आवेदन प्राप्त होने के बाद ट्रांसफार्मर एवं लाईन शिफि्टंग का प्राक्कलन स्वीकृत कर नियमानुसार प्राक्कलन राशि का मांग पत्र आवेदिका को प्रेषित कर दिया गया है जिसका भुगतान प्राप्त होने पर ही ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन को, आवेदिका की भूमि से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना संभव होगा ।

9. यह कि आवेदिका प्रतिनिधि के अनुसार उत्तरवादी द्वारा उसकी भूमि पर ट्रासफार्मर एवं विद्युत लाईन स्थापित किए जाने के पूर्व उन्हें अथवा तत्समय के

राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर (ग्रामीण)

भूस्वामी को किसी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं की गयी इसीलिए उनके द्वारा स्वयं की भूमि पर ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही का विरोध नहीं किया जा सका । इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा कथन किया गया कि किसी भी भूमि पर विद्युत ट्रांसफार्मर अथवा विद्युत लाईन स्थापित किए जाने के पूर्व भूमिस्वामी को सूचित किये जाने का कोई प्रावधान विद्युत अधिनियम अथवा विद्युत संहिता में नहीं है । किसी खुली एवं बिना किसी प्रकार से सुरक्षित की गयी भूमि के संबंध में यह तय करना कि वह निजी है अथवा सार्वजनिक उपयोग की, एवं निजी होने की स्थिति में उसके मालिक की जानकारी प्राप्त करते हुए लाईन विस्तार कार्य के संबंध में सूचित किया जाना अव्यवहारिक है । उत्तरवादी के अनुसार लाईन विस्तार के समय भूस्वामी द्वारा कार्य के संबंध में आपत्ति किए जाने पर कार्य रोक दिया जाता है एवं लाईन विस्तार का कोई अन्य विकल्प ढूंढा जाता है ।

आवेदिका प्रतिनिधि से यह पूछे जाने पर कि क्या उनके भूखंड को निजी भूमि होने की निशानी के तौर पर कांटा तार अथवा दीवार से घेर कर सुरक्षित किया गया है अथवा कोई बोर्ड स्थल पर लगाया गया है, आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि भूमि की सीमा रेखा को दर्शाने के लिए स्थल में खंभे के छोटे टुकडे स्थापित हैं ।

10. यह कि आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा फोरम के समक्ष यह दावा किया गया कि उत्तरवादी द्वारा जानबूझकर उसे प्रताड़ित करने की नियत से उसकी भूमि पर विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईन की स्थापना की गयी है । फोरम द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके भूखंड के आसपास शासकीय खाली जमीन उपलब्ध होने के बाद भी एवं लाईन विस्तार के लिए अन्य विकल्प होते हुए भी उसकी जमीन पर विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईन की स्थापना कर दी गयी जिससे कार्य का जानबूझ कर किया जाना स्पष्ट होता है ।

फोरम द्वारा इस संबंध में आवेदिका को बताया गया कि विद्युत लाईन विस्तार के कार्य में कई तकनीकी मानकों का ध्यान रखा जाता है एवं तद्नुसार ही कार्य संपन्न किया जाता है । आवेदिका के भूखंड के पास ही खाली अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि का उपलब्ध होना ही लाईन विस्तार के, तकनीकी रूप से साध्य, अन्य विकल्प के होने का प्रमाण नहीं है ।

11. यह कि आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर स्थापित ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाईन को हटाए जाने के लिए उत्तरवादी द्वारा प्रेषित मांग

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

पत्र पर आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि उसकी भूमि पर उसकी सहमति के बगैर ट्रांसफार्मर स्थापित करते हुए उत्तरवादी द्वारा पहले ही नियमों के विपरीत कार्य किया गया है और अपनी स्वयं की गलती को सुधारने के लिए उससे राशि की मांग की जा रही है जो कि अनुचित है । इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा कथन किया गया कि किसी भी भूमि में स्थापित किसी भी विद्युत संरचना को अन्यत्र हटाए जाने के संबंध में विभागीय नियमों के अनुसार ही आवेदिका को मांग पत्र प्रेषित किया गया है ।

अवगत हो कि सप्लाई कोड 2011 की कंडिका 13.5 एवं 13.6 यथा –

13.5 If at any time subsequent to the erection of an overhead line, whether covered with insulating material or not, any person proposed to erect building or structure or flood bank or to raise any road level or to carry out any other type of work whether permanet or temporary or to make in or upon any building or structure or flood bank or road, any permananent or temporary addition or alteration, he and the contractor whome he employs to carry out the erection, addition or alteration,shall give intimation in writing of his intention to do so, to the supplier or owner and to the electrical inspector and shall furnish therewith a scale drawing showing the proposed building, structure,flood bank, road or any addition or alteration and scaffolind thereof required during the construction. एवं कंडिका 13.6 यथा –

13.6 The licensee without undue delay shall convey an estimate of the cost of the expenditure likely to be incurred to so alter the overhead line as required by him to deposit, within thirty days of the receipt of the notice,with the supplier.

के अनुसार किसी भूखंड पर विद्युत लाईनों के पूर्व से ही स्थापित रहने की स्थिति में उस भूखंड पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा अपने प्रस्तावित निर्माण कार्य की जानकारी एवं पूर्व से स्थापित विद्युत लाईनों को हटाए जाने के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना है जिसके बाद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस संबंध में आवश्यक सर्वे करते हुए प्रस्तावित कार्य की लागत का मांग पत्र आवेदक को प्रदान किया जाना है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

12.. यह कि छत्तीसगढ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन) 2023 की कंडिका 14 यथा –

7.28 The following time schedule shall be observed for completing the works from the date of payment of charges -

(2) Shifting of LT/HT lines - 60 days.

के अनुसार एल.टी. एवं एच.टी. लाईनों की शिफि्टंग का कार्य इस हेतु आवेदिका द्वारा आवश्यक राशि का भुगतान किए जाने के बाद 60 दिनों की अवधि में किया जाना है । स्पष्ट है कि अपने परिसर में पूर्व से स्थापित विद्युत लाईनों को हटाए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के साथ आवेदिका द्वारा प्रस्तावित कार्य की लागत राशि का भुगतान भी किया जाना है । फोरम के मतानुसार उत्तरवादी द्वारा आवेदिका के भूखंड स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईनों को हटाए जाने के कार्य के लिए आवेदिका को प्रेषित किया गया मांगपत्र सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुसार है ।

13. यह कि आवेदिका के प्रश्नगत भूखंड से विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईन को हटाए जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते की मांग आवेदिका से ही किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए आवेदिका द्वारा कथन किया गया कि लाईनों के विस्थापन के लिए वैकल्पिक रास्ते का चयन करना उत्तरवादी की जिम्मेदारी है जिसका भार उस पर नहीं डाला जाना चाहिए । इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि नियमानुसार किसी आवेदक के लिए किए जाने वाले लाईन विस्तार अथवा शिफि्टंग कार्य के लिए आवश्यक ROW (right of way) उपलब्ध कराना आवेदक की ही जिम्मेदारी होती है ।

अवगत हो कि सप्लाई कोड की कंडिका 4.31 के अंश यथा "The responsibility of way leave clearance shall rest with consumer." के अनुसार उपभोक्ता से संबंधित लाईन विस्तार अथवा शिफि्टंग कार्य के लिए रास्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी ।

14. यह कि आवेदिका द्वारा दिनांक 19.01.2026 को प्रस्तुत पुनः उत्तर में भारत के विधि आयोग की माह अगस्त 2023 में प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या 281 यथा "भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन टावर और पारेषण लाइन के संस्थापन के कारण नुकसानी का प्रतिकर" के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 एवं भारतीय तार अधिनियम 1885 की विभिन्न धाराओं का संदर्भ देते हुए यह दावा किया है कि किसी भी भूमि पर

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

विद्युत ट्रांसफार्मर अथवा लाईनों की स्थापना संबंधित भूस्वामी की सहमति से एवं इस हेतु आवश्यक मुआवजा प्रदान करते हुए ही की जा सकती है जिसका पालन उत्तरवादी द्वारा नहीं किया गया । इस प्रकार उत्तरवादी द्वारा उसके भूखंड पर विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईन स्थापित किए जाने की कार्यवाही नियम विरूद्ध है ।

अवगत हो कि प्रस्तुत रिपोर्ट विद्युत की टावर और पारेषण लाईनों की स्थापना से संबंधित है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में उत्तरवादी द्वारा आवेदिका के परिसर में स्थापित की गयी लाईन, विद्युत वितरण लाईन है । आवेदिका द्वारा प्रस्तुत संदर्भ इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं ।

15. यह कि आवेदिका द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की कंडिका 10(घ) यथा "इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में तारयंत्र प्राधिकारी यथासंभव अल्पतम नुकसान करेगा और जब उसके उन शक्तियों का प्रयोग खंड(ग) में निर्दिष्ट संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के संबंध में किया हो तब वह सब हितबद्ध व्यक्तियों को उन शक्तियों के प्रयोग के कारण उनको हुए किसी नुकसान के लिए पूर्ण प्रतिकर देगा ।" का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए दावा किया गया विद्युत लाईनों की स्थापना से प्रभावित व्यक्ति को उत्तरवादी द्वारा पूर्ण प्रतिकर प्रदान किया जाना है जिसका पालन उत्तरवादी द्वारा नहीं किया गया ।

इस संबंध में अवगत हो कि छत्तीसगढ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.02.2015 की कंडिका 02 के अंश यथा "इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 164 में यह प्रावधान है कि राज्य शासन लिखित आदेश के द्वारा विद्युत लाईन स्थापना करने या विद्युत पारेषण लाईन बिछाने के उद्देश्य से किसी अधिकारी को उन अधिकारों से सशक्त कर सकती है, जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत टेलीग्राफ अथारिटी को प्राप्त है । इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की धारा–10 में यह प्रावधान है कि टेलीग्राफ अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी अचल संपत्ति पर टेलीग्राफ लाईन बिछा सकता है । इसके लिए शासन के द्वारा अचल संपत्ति पर केवल उपयोग का अधिकार प्राप्त किया जावेगा । ऐसे अधिकार के उपयोग के दौरान यदि संपत्ति को कोई क्षति होती है, तो उसका पूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान हितबद्ध व्यक्ति को किया जावेगा ।"

एवं इसी आदेश की कंडिका 5 के अनुसार – "यह क्षतिपूर्ति केवल विद्युत पारेषण लाईन के लिए देय होगी । इसके अंतर्गत विद्युत वितरण लाईन शामिल नहीं है ।"

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर (ग्रामीण)

. स्पष्ट है कि निजी भूमि पर विद्युत पारेषण लाईनों की स्थापना पर तो क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने के संबंध में छत्तीसगढ शासन द्वारा नियमों का निर्धारण किया गया है लेकिन विद्युत वितरण लाईनों की स्थापना के कार्य को, क्षतिपूर्ति दिए जाने के नियमों से मुक्त रखा गया है । चूंकि उत्तरवादी द्वारा आवेदिका के परिसर में स्थापित लाईन, विद्युत वितरण लाईन है अतः प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका, उत्तरवादी से, उसके परिसर में की गयी विद्युत लाईन स्थापना के विरूद्ध किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है ।

16. यह कि आवेदिका द्वारा भारत के संविधान की धारा 300(क) यथा "विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना" का उल्लेख करते हुए अपने परिसर में विद्युत लाईन स्थापना की उत्तरवादी की कार्यवाही को संपत्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है । इस संबंध में स्वयं आवेदिका द्वारा प्रस्तुत भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 10(ख) के अनुसार– "केंद्रीय सरकार उस संपत्ति में जिसके नीचे, उपर, सहारे, आर पार में या पर तारयंत्र प्राधिकारी कोई तारयंत्र लाईन या खंभे लगाता है, केवल उपयोग के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार अर्जित नहीं करेगी ।"

के अनुसार किसी निजी भूमि पर विद्युत लाईनों की स्थापना से अनुज्ञप्तिधारी को मात्र उस भूमि के उपयोग का अधिकार मिलता है अन्य किसी प्रकार का अधिकार नहीं । अर्थात भूस्वामी अपनी संपत्ति का अधिकारी बना रहता है । प्रस्तुत प्रकरण में उत्तरवादी की कार्यवाही आवेदिका को उसके संपत्ति के अधिकार से वंचित करने की कार्यवाही दर्शित नहीं होती है ।

17. यह कि आवेदिका का यह कथन सही है कि विभिन्न नियमों में, किसी निजी भूमि पर विद्युत लाईनों के विस्तार कार्य के लिए अनुज्ञप्तिधारी को असीमित अधिकार नहीं दिए गए है । नियमों में भूस्वामी की सहमति की आवश्यकता एवं क्षतिपूर्ति राशि का दिया जाना लेख किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका द्वारा प्रश्नगत भूखंड वर्ष 2024 में क्रय किया गया जबकि उत्तरवादी द्वारा उस भूखंड में विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईनों की स्थापना वर्ष 2023 में ही कर दी गयी थी ऐसी स्थिति उत्तरवादी द्वारा आवेदिका से लाईन विस्तार कार्य हेतु अनुमति लिए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । उत्तरवादी के कथनानुसार वर्ष 2023 में प्रश्नगत भूमि पर विद्युत लाईन विस्तार कार्य किए जाने के समय से लेकर आवेदिका द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अवधि में भूखंड के पूर्व

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर (ग्रामीण)

स्वामी अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्य के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी । कार्य करने के दौरान एवं पश्चात भी किसी प्रकार की आपत्ति अथवा विरोध का न किया जाना भी कार्य से सहमत होने का ही एक प्रकार है । प्रश्नगत भूखंड पर विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईन की स्थापना के बाद ही आवेदिका द्वारा उक्त भूखंड क्रय किया गया है अतः फोरम के मतानुसार अपने भूखंड में पूर्व से स्थापित विद्युत स्थापनाओं के लिए आवेदिका किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि उत्तरवादी से प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है ।

18. यह कि उत्तरवादी द्वारा फोरम के समक्ष कथन किया गया कि लाईन विस्तार कार्य में आपत्ति दर्ज किए जाने की स्थिति में कार्य नहीं किया जाता है एवं अन्य वैकल्पिक रास्ते का चयन किया जाता है । उत्तरवादी द्वारा बिना किसी प्रकार से सुरक्षित की गयी, खुली भूमि पर बगैर किसी विरोध अथवा आपत्ति के, की गयी ट्रांसफार्मर स्थापना एवं लाईन विस्तार की कार्यवाही को अवैध अथवा नियम विरूद्ध नहीं माना जा सकता है । उत्तरवादी द्वारा आवेदिका को प्रेषित मांग पत्र के, सप्लाई कोड के प्रावधानों के अनुसार होने के आधार पर फोरम बिना प्राक्कलन राशि वसूल किए हुए प्रश्नगत भूखंड से विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाईन को हटाए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने की आवेदिका की मांग को खारिज करता है ।

19. आदेश पारित ।

20. प्रकरण निराकृत ।

21. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

निर्णय घोषित किया गया

(अशोक खण्डेलवाल)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (ग्रामीण)